


R.T.I

All Register Scout & Guide NGO can Run Scouting & Guiding in India



Bar...
 और HS&G का...
 10, 11, 12 का...

04.	यंगवसा राशि का मुग्तान किन कारणों से दीया गया है।	दी गई राशि का लेखा-जोखा समय पर नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण। अबतें NGO के विस्टेड उच्च न्यायलय, दिल्ली से प्रकरण चल रहा है।
05.	यदि राशि का लेखा-जोखा इस NGO को दे दिया जाए।	अनुचित प्रकरण का फैसला होने के बाद ही इसे विभाग में विचार किया जा सकता है।
06.	विन कारणा से तथा आदेश जिसके अनुसार इस संस्था की मान्यता रद्द की गई थी, कौपी तथा संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।	पंजाक 28-15/2004-वाई.एस.4 दिनांक 1.2.2005 की प्रति संलग्न है जिसमें मान्यता रद्द किए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
07.	क्या कोई ऐसा नियम है कि Scouting and Guiding एक मात्र भारत स्कूटर्स एवं गाईड्स ही देश में चला सकता है।	ऐसा कोई नियम वर्तमान में नहीं है।
08.	यदि जगजाहिर है कि भारत स्कूटर्स एवं गाईड्स भारत के 10 प्रतिशत युवा वर्ग को भी अभी तक अपने साथ जोड़कर स्कूटर्स एवं गाईड्स का प्रशिक्षण नहीं दे पाया है तो आपका विभाग अन्य स्कूटर्स एवं गाईड्स की संस्थाओं को मान्यता क्यों नहीं दे रहा है।	स्कूटर्स एवं गाईड्स गतिविधियों देश में चलाने के लिए प्रत्येक संस्था स्वतंत्र है। इस विभाग द्वारा किसी संस्था को मान्यता दिए जाने का आशय केवल इतना है कि ऊपर संस्था को इन गतिविधियों के लिए नियमानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
09.	आज देश में हर तरफ महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं तो क्या आपका विभाग अन्य Scout & Guide के अन्य NGO को मान्यता देकर देश के युवाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने में सहायता करेगा।	

WOSM
 प्रतिष्ठान
 सिखाई

BS&G
 की मोड़
 का प्रकरण

संस्था
 Scouting
 NGO
 में है

आचार्य, योपारा

आचार्य,
 (आर.के. सिंह)

भारत सचिव, भारत स्कूटर्स एवं गाईड्स संघ

प्रतिश्री

आचार्य, आरटीआई/बीजी, आपके पत्रांक 1-1/2012-आरटीआई/बीजी दिनांक

14.3.2012 के उत्तर में।

